रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 9, 1994/श्रावण 18, 1916
No. 118] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 9, 1994/SRAVANA 18, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 230/(पी एन)/92–97

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1994

फाइल सं. 9/2/93–आईपीसी 2 :—यथासंशोधित निर्यात-आयात नीति 1992–97 के पैराग्राफ 16 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 1992-97 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

(1) पैरा 154 (1) में उल्लिखित यह पैरा "यूनिट द्वारा सीधे सोने का आयात करके इसे निर्यात उत्पादन के लिए इस्तेमाल करने से पूर्व उपयुक्त प्रकार से मोहर लगाकर सरकारी टकसाल से सोने की उसी शुद्धता की मानक छड़ों में बदला जाएगा। इसी प्रकार भारतीय स्टेट बैंक/मनोनीत एजेंसी द्वारा सप्लाई किया गया सोना भी भारत सरकार

की टकसाल से उपयुक्त रूप से मोहर लगी हुई उसी शुद्धता के मानक की छड़ों के रूप में होगा" हटा दिया जाएगा,

(2) पैरा 154(3) के अन्तर्गत शर्त (2) निम्नलिखित के बदले रखी जाएगी : "प्लेन और जड़ित स्वर्ण आभूषणों के लिए स्वर्ण के अंश के मूल्य के ऊपर क्रमश: 10% और 15% का न्यूनतम मूल्य संयोजन प्राप्त करना पड़ेगा।"

2. इसे सार्वजनिक हित में जारी किया जाता है।

डा. पी. एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक,
विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 230|(PN)|92—97

New Delhi, the 9th August, 1994

File No. 9|2|93-IPC-II.—In exercise of the powers conferred under paragraph 16 of the Export & Import Policy, 1992—97, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures, 1992—97 :—

(i) In para 154(1), the sentence reading as "The direct import of gold by the unit shall be got converted into standard bars of same purity of gold from the Government Mint with appropriate stamping before use for export production. Similarly, the supply of gold by the SBI|nominated agency shall be in standard bars of the same purity with appropriate stamping of Government of India Mint". shall be deleted ;

(ii) The condition (ii) under para 154(3) shall be substituted by the following :—

"A minimum value addition of 10 per cent and 15 per cent respectively for plain and studded gold jewellery over the value of the gold content shall have to be achieved."

2. This issues in public interest.

DR. P. L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994